

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:-भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या:- 02/2021

अपीलाण्ट

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स

श्रीमती शिवरी पुत्री स्व. सालूराम
पत्नी भिरमराम जाति विश्नोई
निवासी लाम्बा तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

1. भाकरराम पुत्र सालूराम
2. बीजाराम पुत्र सालूराम
3. रामरख पुत्र सालूराम
4. भीयाराम पुत्र सालूराम
जातियान विश्नोई
निवासीगण जाम्बानगर (कापरड़ा)
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
5. श्रीमती नारायणीदेवी पुत्री स्व.
सालूराम पत्नी हीराराम
जाति विश्नोई निवासी
जोलियाली तहसील झंवर
जिला जोधपुर
6. श्रीमती माडीदेवी पुत्री स्व.
सालूराम पत्नी गोरधनराम जाति
विश्नोई निवासी जूनकी ढाणी
रावर तहसील बिलाड़ा जिला
जोधपुर
7. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पुत्री स्व.
सालूराम पत्नी जैताराम जाति
विश्नोई निवासी रावर तहसील
बिलाड़ा जिला जोधपुर
8. श्रीमती सूरीदेवी पत्नी स्व.
सालूराम जाति विश्नोई निवासी
जाम्बानगर (कापरड़ा) तहसील
बिलाड़ा जिला जोधपुर (डिलीट)
9. सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध

म्यूटेशन संख्या 1453 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत कापरड़ा

उपस्थिति:- अपीलाण्ट की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट संख्या-1 से 4 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट संख्या-5, 6, 9 अनुपस्थित
रेस्पोडेण्ट संख्या-7 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान एडवोकेट


उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय

दिनांक : 21/6/2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में अपीलान्ट के पिता सालूराम की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 899 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 900 रकबा 0.2912 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 901 रकबा 16.6007 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 16.9243 हैक्टेयर आयी हुयी है। सालूराम जी का देहान्त सन् 2000 में हो गया। देहान्त के समय सालूराम के उत्तराधिकारी उनके चार पुत्र भाकरराम, बींजाराम, रामरख, भीयाराम तथा चार पुत्रीया अपीलान्ट श्रीमती शिवरी, नारायणीदेवी, माडीदेवी, लक्ष्मीदेवी तथा पत्नी श्रीमती सूरीदेवी थे, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा उत्तराधिकारियों का म्यूटेशन संख्या 1453 भरते समय केवल सालूराम के चार पुत्रों एवं पत्नी का नाम ही लिख दिया एवं सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा बीना किसी प्रकार की जाँच किये वह म्यूटेशन नियम विरुद्ध स्वीकृत कर दिया। अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 1453 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा मृतक खातेदार सालूराम की भूमि में उनकी चार पुत्रिया अपीलान्ट तथा रेस्पोजेण्ट संख्या 5 से 7 के नाम म्यूटेशन स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे।

अपील के साथ अपीलान्ट की ओर से धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट मृतक खातेदार सालूराम की पुत्री होने से वह उनकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा सालूराम की भूमि में अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी है। ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत करने से पहले अपीलान्ट को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गयी। जबकि नियमानुसार खातेदार के सभी उत्तराधिकारियों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट ने पटवारी हल्का कापरड़ा से अपने पिता सालूराम की भूमि की जमाबन्दी की नकल चाही तो पटवारी हल्का ने बताया कि उपरोक्त भूमि में रेस्पोजेण्ट संख्या-1 से 4, 8 का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है तब अपीलान्ट ने सालूराम के देहान्त पर उत्तराधिकारी के आधार पर स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 1453 की नकल हल्का पटवारी से दिनांक 13.01.2021 को प्राप्त की गयी। पटवारी हल्का से अपीलाधीन


उपखण्ड अधिकाधी
बिलाड़ा



म्यूटेशन संख्या 1453 को दिनांक 13.01.2021 की नकल मिलने पर अपीलाधीन म्यूटेशन की जानकारी हुई। अतः जानकारी की तिथि से अपील अन्दर म्याद पेश है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि म्यूटेशन संख्या-1453 के विरुद्ध की गयी अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने का आदेश फरमावे।

अपीलाण्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोजेण्ट संख्या-1 से 9 को जरिये सम्मन नोटिस भेजे गये, जिस पर रेस्पोजेण्ट संख्या-1 से 9 के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। रेस्पोजेण्ट संख्या-1 से 4 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोजेण्ट संख्या-7 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोजेण्ट संख्या-5, 6, 9 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, लेकिन उनकी तरफ से कोई उपस्थित नही होने के कारण उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गयी। रेस्पोजेण्ट संख्या 8 दौराने अपील फौत हो गयी तथा रेस्पोजेण्ट संख्या 8 के विधिक वारिसान को इस अपील में पूर्व में ही पक्षकार के रूप में संयोजित किया होने के कारण उसके नाम के आगे डिलीट का नोट अंकित किया गया।

रेस्पोजेण्ट संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश किया, जिसके जवाब के साथ प्राथमिक आपतियां पेश की गयी। प्राथमिक आपतियां इस आधार की पेश की गयी कि सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा म्यूटेशन संख्या-1453 सन् 2002 में स्वीकृत किया गया, अपीलाण्ट ने म्यूटेशन संख्या-1453 के स्वीकृति के 19 वर्ष बाद अपील पेश की है। जो म्याद बाहर है। धारा 3 म्याद अधिनियम के अनुसार म्याद बाहर अपील का गुणावगुण पर सुनवाई का न्यायालय को अधिकार नहीं है। ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 899 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 900 रकबा 0.2912 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 901 रकबा 16.6007 हैक्टेयर में से 1/30 हिस्सा रेस्पोजेण्ट संख्या-4 भीयाराम पुत्र सालूराम जाति विशनोई निवासी जाम्बानगर (कापरड़ा) तहसील बिलाड़ा की थी। रेस्पोजेण्ट संख्या-4 भीयाराम ने अपनी खातेदारी भूमि को दिनांक 04.02.2021 को अपनी पत्नी श्रीमती सायरी देवी के पक्ष में बख्शीशनामे के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में म्यूटेशन संख्या-3165 प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 899 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर




उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

900 रकबा 0.2912 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 901 रकबा 16.6007 हैक्टेयर में 1/30 वां हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या-3 रामरख पुत्र सालूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बानगर (कापरड़ा) तहसील बिलाड़ा की थी। रेस्पोडेण्ट संख्या-3 रामरख ने अपनी खातेदारी भूमि को दिनांक 04.02.2021 को अपनी पत्नी श्रीमती सुरजी देवी के पक्ष में बख्शीशनामे के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में म्यूटेशन संख्या-3165 प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 899 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 900 रकबा 0.2912 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 901 रकबा 16.6007 हैक्टेयर में से 1/30 हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या-1 भाकरराम पुत्र सालूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बानगर (कापरड़ा) तहसील बिलाड़ा की थी। रेस्पोडेण्ट संख्या-1 भाकरराम ने अपनी खातेदारी भूमि को दिनांक 04.02.2021 को अपनी पत्नी श्रीमती सायरी देवी के पक्ष में बख्शीशनामा निष्पादित करवा दिया। इस कारण बख्शीशगृहिता श्रीमती सायरी देवी पत्नी भींयाराम, श्रीमती सुरजी पत्नी रामरख, श्रीमती सायरी देवी पत्नी भाकरराम अपील में आवश्यक पक्षकार है, अपील में तीनों को पक्षकार नहीं बनाया है, तीनों बख्शीशनामा को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा तीनों बख्शीशनामों को निरस्त नहीं किया जाता तब तक राजस्व न्यायालय उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है। अपीलाण्ट ससुराल में रहती है, उसका कापरड़ा की भूमि पर कोई कब्जा व काशत नहीं है। विवादित भूमि पर श्रीमती सायरी देवी पत्नी भींयाराम, श्रीमती सुरजी पत्नी रामरख, श्रीमती सायरी देवी पत्नी भाकरराम का है। कानूनन बीना कब्जे के किसी भी व्यक्ति को न तो खातेदार घोषित किया जा सकता है। म्यूटेशन की कार्यवाही एक फिसकल कार्यवाही है। जटिल प्रश्नों का निर्धारण दावे में ही तय किया जा सकता है। सालूराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या-1453 अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या-5 से 7 की सहमति से ही रेस्पोडेण्ट संख्या-1 से 4, 8 के नाम दर्ज किया गया। अपीलाण्ट की अगर सहमति नहीं होती तो अपीलाण्ट 30 दिवस के भीतर अपील अवश्य पेश करती। अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट संख्या-1 से 4 के घर पर आती जाती रही है। सन् 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार कानून में हुए संशोधन के अनुसार यदि पिता की मृत्यु सन् 2005 से पहले हुई है तो उस स्थिति में पुत्रियों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिल सकता है। अपील के साथ धारा-5 म्याद अधिनियम का



उपखण्ड अधिकापी
बिलाड़ा

रेस्पोंडेंट संख्या-1 से 4 द्वारा जवाब पेश किया, जो जवाब के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट मृतक खातेदार सालूराम की पुत्री व प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है, सही होने से स्वीकार है। म्यूटेशन संख्या-1453 में अपीलाण्ट ने सहमति दी है अपीलाण्ट ने सहमति प्रकट करने के 30 दिन के भीतर भीतर कोई अपील पेश नहीं की है। अपीलाण्ट अपने पीहर आती जाती रही है, इस कारण उसको म्यूटेशन संख्या-1453 की सम्पूर्ण जानकारी है। अपीलाण्ट ने 19 वर्ष बाद अपील पेश की है, जो म्याद बाहर, अपील का गुणावगुण पर सुनवाई का न्यायालय को अधिकार नहीं है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा-5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

रेस्पोंडेंट संख्या-7 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश किया गया, जिसमें रेस्पोंडेंट संख्या-7 ने अपीलाण्ट को मृतक सालूराम की पुत्री होना बताया है। मृतक सालूराम की भूमि में अपीलाण्ट का नाम दर्ज करने की इस्तदुआ की है।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से बहस में कथन किया कि विवादित भूमि मृतक सालूराम की खातेदारी की थी। मृतक सालूराम के देहान्त का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या-1453 स्वीकृत किया गया, उस फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या-1453 में चार पुत्रों एवं पत्नी का नाम ही लिखा गया, जबकि सालूराम के चार पुत्रीयां भी मौजूद थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 में स्पष्ट रूप से प्रावधान दे रखा है कि एक हिन्दू के देहान्त के बाद उसके प्रथम श्रेणी के वारिशान उसके पुत्र, पुत्री व पत्नी होते है, लेकिन नामान्तरकरण संख्या-1453 में मात्र सालूराम के चार पुत्र व पत्नी को ही उत्तराधिकार मानकर ग्राम पंचायत कापरड़ा ने विधि विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या-1453 को स्वीकृत किया है। सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या-1453 को अपीलाण्ट का हक व हिस्सा समाप्त नहीं हो सकता है। विवादित मामले में सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा ने म्यूटेशन संख्या-1453 को स्वीकृत करने से पूर्व विधिक उत्तराधिकारियों की कोई जांच नहीं की गयी और न ही अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत करने से पहले अपीलाण्ट को कोई नोटिस या सूचना ही दी




उपखण्ड अधिकाधी
बिलाड़ा

गयी। जिसके कारण अपील अन्दर म्याद पेश है। अपीलाण्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2008 (1) RRT 1406, 2013 (1) RRT 473, 2013 (2) RRT 1284, 2020 (2) RRT 998 (SC) के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये।

रेस्पोजेण्ट संख्या-1 से 4 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि स्व. सालूराम के देहान्त के पश्चात जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या-1453 की जानकारी अपीलाण्ट को शुरू से ही है। अपीलाण्ट ससुराल में रहती है, अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है। अपीलाण्ट ने म्यूटेशन संख्या-1453 में सहमति को प्रकट किया है। रेस्पोजेण्ट संख्या-1, 3, 4 ने अपने हक व अधिकारों की भूमि का बख्शीशनामा करवा दिया है, जब तक बख्शीशनामा को सिविल न्यायालय से खारिज नहीं करवा दिया जाता तब तक अपीलाण्ट की अपील चल नहीं सकती है। रेस्पोजेण्ट संख्या-1, 3, 4 की पत्नीयों को पक्षकार नहीं बनाया है। म्यूटेशन एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है, हक के लिए दावे में निर्धारण होगा। अपील 19 वर्ष बाद पेश की है, जो जाहिरा म्याद बाहर है। अन्त अपील को म्याद बाहर मानकर खारीज करने का निवेदन किया और अपने पक्ष के समर्थन में RRT 2016 (2) Page 1110, RRT 2016 (2) Page 1139, RBJ 2020 Page 706, RRD 2009 Page 453, AIR 1998 (SC) Page 2276, RRD 2008 Page 644, RRD 2005 Page 85, RRT 2020 (1) Page 508, RRD 2009 Page 751, RRD 1998 Page 610, AIR (SC) Weekly 2015 Page 6160 तथा अपील संख्या-3/2021 अनवान माडकी वनाम ओमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2022 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये। रेस्पोजेण्ट संख्या-7 ने अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से पूर्व धारा-5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र की सुनवायी किया जाना आवश्यक है। विद्वान अधिवागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराया और निवेदन किया गया कि उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार कि उतराधिकारियों की जांच नहीं की गयी और न ही किसी प्रकार का नोटिस जारी किया गया है। अन्त में धारा-5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया गया। रेस्पोजेण्ट संख्या-1




उपखण्ड अधिकापी
बिलाड़ा

से 4 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि म्यूटेशन संख्या-1453 जब भरा गया तब अपीलाण्ट ने सहमति दी है, उक्त सहमति के 19 वर्ष बाद अपील पेश की गयी है, जो अपील म्याद बाहर है। अपीलाण्ट ने 30 दिवस के भीतर अपील को पेश नहीं किया है। प्रस्तुत अपील म्याद बाहर पेश करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है। उपरोक्त विवादित भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या-1, 3, 4 ने अपनी पत्नीयों के नाम से बख्शीशनामें निष्पादित कर दिये, इस कारण बख्शीशनामा को निरस्त नहीं करवा देते तब तक अपील अपीलाण्ट चलने योग्य नहीं है।

अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा कई बार अधिनिर्णित किया है कि जहां गुणावगुण पर मामला ठोस हो वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है एवं मामले को गुणावगुण पर ही निर्णित किया जाना चाहिए। इसलिए सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या-1453 को स्वीकृत किया गया है, जिसको स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा-5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलाण्ट की अपील को अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है कि यह विवादित नहीं है कि मृतक सालूराम के अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या-1 से 7 वारिशान है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम सूची में वर्णित सूची में वारिश है। सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा जारी किया गया म्यूटेशन संख्या-1453 के समय उस समय सालूराम की पुत्रीयां शिवरी, नारायणीदेवी, माडीदेवी, लक्ष्मीदेवी मौजूद थी, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत स्व. सालूराम के देहान्त के पश्चात् उसके प्रथम श्रेणी के वारिशान उसकी चार पुत्रीयां शिवरी, नारायणीदेवी, माडीदेवी, लक्ष्मीदेवी है। सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या-1453 से अपीलाण्ट शिवरी व नारायणीदेवी, माडीदेवी, लक्ष्मीदेवी का हक व अधिकार कानूनन रूप से समाप्त नहीं होता है। विवादित भूमि स्व. सालूराम की है, स्व. सालूराम की भूमि में उसके चार पुत्र, चार पुत्रीयां व पत्नी का हक


उपखण्ड अधिकाषी
बिलाड़ा

बराबर बराबर बनता है, चूंकि सालूराम की पत्नी सूरीदेवी का दौराने अपील देहान्त हो चुका है। मृतक सूरीदेवी का हिस्सा उसके चार पुत्र व चार पुत्रीयां में समायोजित होगा। बीना प्रावधान व नियम के पारित किये नामान्तरकरण संख्या-1453 को प्रभाव में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर म्यूटेशन संख्या-1453 को निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 899 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 900 रकबा 0.2912 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 901 रकबा 16.6007 हैक्टेयर की भूमि में स्व. सालूराम के विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा